[illegible] तत्कालीन प्राचार्य, कस्तूरबा गर्ल्स कॉलेज [illegible] अकादमी के पद पर पूर्व से प्रचलित सेवा शर्तों पर [illegible] है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागीरथ प्रसाद, प्रमुख सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जून 2003

क्र. एफ 24-3-2000-बत्तीस-1.--राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 28 (1) के अन्तर्गत श्री नीरेन्द्र सिंह रावत, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नीमच को भाड़ा नियंत्रण अधिकारी नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान की जाती है.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2003

क्र. एफ-7-36-2001-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को आगामी आदेश तक संचालक, भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है.

श्री मोहम्मद इदरीश आत्मज श्री छोटे खां

श्रीमती मुन्नीबाई महावर

श्री जाहिद गौरी

4. श्री चतरसिंह अहिरवार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानन्द दुबे, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जून 2003

क्र. एफ 28-1-2003-दस-3.--मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम 3 के परंतुक के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, काष्ठ, खनिज, वन्य जीव उत्पाद,तेंदूपत्ता, साल बीज तथा कुल्लू गोंद को छोड़कर समस्त अविनिर्दिष्ट लघु वनोपजों को उक्त नियमों के प्रवर्तन से छूट देती है.

No. F-28-1-2003-X-3.---In exercise of the powers conferred by clause (b) of the proviso to Rule 3 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000, the State Government hereby, exempts all unspecified minor forest Produce except Timber, Mineral, wildlife Produce, Tendu patta, Sal seeds and Kullu gum from the operation of the said rules.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2003

क्र. एफ-25-28-03-दस-3.--- मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) की धारा 22-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि दिनांक 1 जुलाई 2003 से कुल्लू गोंद को छोड़कर हर्रा तथा अन्य समस्त प्रकार की गोंद संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट वन उपज नहीं रहेगी.

No. F-25-28-03-X-3.---In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22-A of the Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969), the State Government hereby directs that with effect from 1st July 2003, Harra and all types of gum except Kullu gum shall cease to be a specified forest produce in whole of the State of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, अपर सचिव.